एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
	11.12.2023		डब्ल्यू. पी. एम. एस. संख्या 3413 सन 2023 **<u>माननीय राकेश थपलियाल, जे.</u>** 1. श्री विपुल शर्मा, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री वी. डी. बिसेन, विद्वान स्थायी वकील राज्य की ओर से उपस्थित होते हैं। 2. तत्काल रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना कर रही है: ***" (i) देवभूमि जन सेवा केंद्र नाम की सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी को रद्द करने के लिए प्रमाणन की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके माध्यम से जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी) जारी करने के लिए आवेदन दिनांक 30.08.2023 संख्या UK23ESO800264897 (अनुलग्नक संख्या 11) अस्वीकृत कर दिया गया है।*** ***(ii) याचिकाकर्ता को तुरंत अन्य पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र (ओबीसी) (जाट) जारी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।*** ***(iii) याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।***

			(iv) याचिकाकर्ता के पक्ष में रिट याचिका की अधिनिर्णय लागत दें।" 3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता की पूरी शिक्षा उत्तराखंड से हुई है और उसका जन्म भी उत्तराखंड में हुआ था, और यही कारण है कि याचिकाकर्ता को उप मंडल मजिस्ट्रेट, रुद्रपुर द्वारा 24.12.2022 को एक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिका के साथ याचिकाकर्ता ने अपना जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ-साथ पूर्व में जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न की है। 4. अब याचिकाकर्ता, जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित है, ने ओबीसी (जाट) जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है, जिसके लिए उसने आवेदन संख्या UK23ESO800264897 वाला एक आवेदन जमा किया है, लेकिन इसे 25.02.2023 को तहसीलदार, रुद्रपुर द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने सरकारी आदेश के अनुसार दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न नहीं किए हैं। 5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र वर्ष 2022 में जारी किया गया था, इसलिए, उत्तरदाता याचिकाकर्ता को ओबीसी (जाट) जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं कर सकते। 6. स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने से ही पता चलता है कि याचिकाकर्ता इसी राज्य से है, और इसलिए, वह ओबीसी जाट जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की हकदार है। 7. याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाला आदेश पूरी तरह से एक गैर-भाषी वाला आदेश है, जिसमें यह खुलासा नहीं किया गया है कि उत्तरदाताओं ने कौन से सबूत या दस्तावेज मांगे हैं।

			8. चूंकि याचिकाकर्ता को उप मंडल मजिस्ट्रेट, रुद्रपुर द्वारा वर्ष 2022 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए, उत्तरदाताओं को यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को ओबीसी (जाट) जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है। 9. उपरोक्त निर्देश के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। **(राकेश थपलियाल, जे)** 11.12.2023 राठौर